उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– 109 /XXXVI(1)/2019-12 C.M/2015
देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–49/XVII-4/2018-01(04)/वि0क0/2017-T.C. दिनांक 02.04.2018 के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–84 के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को **"विशेष न्यायालय"** विनिर्दिष्ट किया गया है।

2– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–84 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु समस्त जिलों में आबद्ध जिला शासकीय अधिवक्तागण (फौजदारी) को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–85 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

10.04.2019

ओ/सी (डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 109 /XXXVI(1)/2019-12 C.M/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।
13. समाज कल्याण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
14. समस्त ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), उत्तराखण्ड।
15. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ओ/सी (रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–04
संख्या–   /XVII-4/2018–01(04)/वि0क0/2017–T.C
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2018

अधिसूचना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–84 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिये मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से राज्य के प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत **विशेष न्यायालय** के रूप में विनिर्दिष्ट करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

19/2/2018

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–   **/XVII-4/2018–01(04)/वि0क0/2017–T.C, तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
9. समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला बार काऊन्सिल उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति की 50 प्रतियां अगले संस्करण में प्रकाशित कर उपलब्ध करायें।
14. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
15. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

जारी
18/05/23

संख्या– 44 /XVII-A-3/2023–01(11)/वि0क0/2018

प्रेषक,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक 18 मई, 2023

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–D.O. 29-05/2023-DD-III दिनांक 11.052023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–85 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–85 के क्रियान्वयन हेतु इस राज्य शासन के पत्र संख्या–109 (1)/XXXVI/2019–12 C.M/2015 दिनांक 10.04.2019 द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
18/5/23
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।